ग्रामीण इलाकों तक पहुंचेंगी डायग्नोस्टिक सुविधाएं

- एमआरआई और एक्स-रे उपकरण लाने की तैयारी
- एआई आधारित उपकरण भी मुहैया कराए जाएंगे

नवभारत प्रतिनिधि

भोपाल, 02 जुलाई. प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं और बुनियादी ढांचे को मजबूती देने के लिये नया कदम उठाया है. इसके तहत प्रदेश चिकित्सा तंत्र को आधुनिक तकनीकों से लैस करने के लिए केंद्र सरकार के सहयोग से एक अहम समझौता हुआ है. इसके तहत आगामी 3 वर्षों में राज्य के सरकारी चिकित्सा संस्थानों को अत्याधुनिक डायग्नोस्टिक मशीनें और एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) आधारित उपकरण सौंपे जाएंगे.

बता दें इस पहल के तहत मध्य प्रदेश को 13 एमआरआई मशीनें, 11 मैमोग्राफी मशीनें और 308 एआई-सक्षम हैंडहेल्ड एक्स-रे उपकरण मिलने जा रहे हैं. इनके आने से राज्य में बीमारियों की शुरुआती जांच और सटीक इलाज की क्षमता में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. साथ ही इस नई व्यवस्था से प्रदेश के ग्रामीण और सुदूर अंचलों में रहने वाले नागरिकों को ये सुविधाएं स्थानीय स्तर पर सुलभ हो सकेंगी.

इनका कहना है

पीएम केयर्स के माध्यम से उपलब्ध होने वाले आधुनिक डायग्नोस्टिक से स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी. साथ ही ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण जांच सुविधाएं उपलब्ध होंगी.

राजेन्द्र शुक्ल,
उप मुख्यमंत्री, मप्र

पोर्टेबल एक्स-रे से घर के पास जांच

308 एआई-इनेबल्ड हैंडहेल्ड एक्स-रे उपकरणों की मदद से स्वास्थ्य कर्मी दूरदराज के गांवों में जाकर भी मौके पर ही डिजिटल एक्स-रे कर सकेंगे. एआई तकनीक की वजह से बीमारियों की पहचान तुरंत और सटीकता से हो सकेगी।

कैंसर और गंभीर रोगों की पहचान

11 नई मैमोग्राफी मशीनों की तैनाती से प्रदेश में महिलाओं में स्तन कैंसर की शुरुआती जांच को बढ़ावा मिलेगा। वहीं 13 नई एमआरआई मशीनों से न्यूरो, रीढ़ की हड्डी और अन्य जटिल शारीरिक समस्याओं की जांच सरकारी स्तर पर रियायती या नि:शुल्क दरों पर हो सकेगी।

एक ही प्लेटफॉर्म पर पूरा इलाज

आरोग्य सेतु 2.0 और आयुष्मान ऐप जैसी डिजिटल प्रणालियों के जरिए गर्भवती महिलाओं, बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों को एक ही जगह पर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। वहीं डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड और 'आभा' खातों के जरिए मरीजों की पूरी मेडिकल हिस्ट्री ऑनलाइन सुरक्षित रहेगी। इससे मरीजों को हर बार पुरानी पर्चियां और भारी-भरकम फाइलें लेकर घूमने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज और यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस जैसी प्रणालियों से अस्पतालों में आयुष्मान भारत के तहत होने वाले इलाज और क्लेम की प्रक्रिया बेहद तेज और पारदर्शी हो सकेगी.

टीटीई की सतर्कता से नाबालिग को सुरक्षित सौंपा परिजन को

भोपाल, 2 जुलाई . पश्चिम मध्य रेल के भोपाल मंडल में टीटीई की सतर्कता से घर से भागी 14 वर्षीय बालिका को सुरक्षित उसके परिजनों से मिलाया गया. यह घटना गाड़ी संख्या 18235 भोपाल-बिलासपुर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में सामने आई, जहां ड्यूटी के दौरान टीटीई विजय श्रीवास ने स्लीपर कोच एस-2 में एक नाबालिग बालिका को अकेले यात्रा करते देखा.

पूछताछ में बालिका ने बताया कि घर में विवाद होने के कारण वह बिना बताए घर छोड़कर चली आई थी. स्थिति की गंभीरता को समझते हुए टीटीई ने तत्काल रेलवे कंट्रोल को सूचना दी. कंट्रोल के निर्देश पर विदिशा स्टेशन पहुंचने पर बालिका को आवश्यक औपचारिकताओं के साथ रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के सुपुर्द कर दिया गया.

आरपीएफ ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बालिका के परिजनों से संपर्क स्थापित किया और आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे सुरक्षित परिजनों को सौंप दिया. भोपाल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया ने टीटीई विजय श्रीवास की सतर्कता, त्वरित निर्णय क्षमता और मानवीय संवेदनशीलता की सराहना की. उन्होंने कहा कि रेल कर्मचारी सुरक्षित और सुगम रेल संचालन के साथ-साथ यात्रियों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के प्रति भी पूरी तरह सजग रहते हैं.

नर्मदा क्षेत्र विकास के निर्णय अब हर माह

- हर माह होगी नर्मदा समग्र की बैठक
- नर्मदा परिक्रमा पथ अतिक्रमण मुक्त होंगे

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 2 जुलाई. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मां नर्मदा प्रदेश की 33 प्रतिशत से अधिक आबादी की जीवन रेखा है. यह आबादी नर्मदा नदी और उसके जलग्रहण क्षेत्र पर ही निर्भर है. नर्मदा हमारी धार्मिक आस्था, जैव विविधता और सांस्कृतिक विरासत की आधारशिला है. इसे हर तरह से निर्मल और अविरल बनाए रख कर नर्मदा परिक्रमा पथ को अतिक्रमण मुक्त बनाया जाए. प्रदेश में नर्मदा जयंती पर विभिन्न आयोजन किए जायें.

नर्मदा और इसकी सहायक नदियों सहित पूरे प्रदेश में नदियों के संरक्षण के लिए समाज को विशेषकर युवाओं को जोड़ा जाये. उन्होंने कहा कि अब हर महीने नर्मदा समग्र की बैठक में इस नदी क्षेत्र के विकास से निर्णय लिए जाएंगे.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गुरुवार को मंत्रालय में नर्मदा समग्र की बैठक को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मां नर्मदा के विकास से जुड़ना एक पवित्र काम है. सभी विभाग के अधिकारी पूरे समर्पण से यह काम करें. उन्होंने कहा कि नर्मदा परिक्रमा पथ को पूर्णत: अतिक्रमण मुक्त कर पथिकों के लिए सभी व्यवस्थाएं की जाये और परिक्रमा मार्ग पर संकेतक भी लगाए जाए. नर्मदा के तट पर स्थित सभी धार्मिक और पवित्र स्थलों को प्रदूषण मुक्त बनाया जाए. उन्होंने कहा कि परिक्रमा मार्ग पर जहां मंदिर हैं वहां श्रद्धालुओं के लिए अन्न क्षेत्र भी स्थापित किए जाएं. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि ऐसे स्थानों पर दीनदयाल रसोई प्रारंभ कराने की व्यवस्था भी कराएगी.

18 जिलों में नर्मदा जयंती पर आयोजन होंगे

बैठक में एसीएस शिवशेखर शुक्ला ने बताया कि नर्मदा नदी के सीमावर्ती प्रदेश के 18 जिलों में नर्मदा जयंती पर आयोजन किए जाएंगे. मां नर्मदा की भव्य आरती, नृत्य, गायन, प्रदर्शनी, प्रतियोगिता और जागरूकता कार्यक्रम भी किए जाएंगे. बैठक में एसीएस पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती दीपाली रस्तोगी ने बताया कि मां नर्मदा के जल को सदैव निर्मल और अविरल बनाये रखने के लिए विभाग द्वारा नमन मिशन तैयार किया गया है.

शिक्षा व्यवस्था पर जीतू का हमला

विशेष संवाददाता

भोपाल, 2 जुलाई . प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश की सरकारी शिक्षा व्यवस्था को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि पिछले दो दशकों की कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और उपेक्षा ने सरकारी स्कूलों को गहरे संकट में धकेल दिया है. सरकारी स्कूलों की बदहाल स्थिति के कारण अब न्यायपालिका को भी हस्तक्षेप करना पड़ रहा है.

मीडिया से चर्चा करते हुए पटवारी ने दावा किया कि प्रदेश में स्वीकृत 2.89 लाख शिक्षकीय

पदों में से 1 लाख 15 हजार 678 पद रिक्त हैं, यानी लगभग 40 प्रतिशत पद खाली पड़े हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश के 1,895 सरकारी स्कूल ऐसे हैं, जहां एक भी शिक्षक पदस्थ नहीं है, जिससे हजारों विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित हो रहा है.

उन्होंने कहा कि पिछले दस वर्षों में सरकारी स्कूलों से 22.03 लाख विद्यार्थियों की संख्या कम हुई है, जो शिक्षा व्यवस्था से जनता का घटता विश्वास दर्शाती है. पटवारी के अनुसार शिक्षकों की भर्ती नहीं होने, शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट और बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण अभिभावक अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों से हटाने को मजबूर हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश के लगभग 5,000 स्कूल भवन जर्जर हैं, 3,400 स्कूलों में शौचालय नहीं हैं, 10,000 स्कूल बिजली सुविधा से वंचित हैं और 40,000 स्कूलों में चारदीवारी नहीं है.

11 .254 किलो गांजा व बाइक जब्त, दो तस्कर गिरफ्तार

नवभारत न्यूज

सीधी 2 जुलाई, अवैध नशे के विरुद्ध पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देश पर चल रहे ऑपरेशन प्रहार 2.0 के तहत मझौली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है।

पुलिस महानिरीक्षक रीवा ज़ोन गौरव राजपूत के निर्देशन, उप पुलिस महानिरीक्षक रीवा रेंज हेमंत चौहान के मार्गदर्शन, पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी के निर्देशन, अति. पुलिस अधीक्षक श्रीमती कमला जोशी एवं एसडीओपी कुसमी संतोष तिवारी के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी मझौली उनि विशाल शर्मा के नेतृत्व में पुलिस ने एक ही दिन में दो कार्रवाई कर कुल 11 किलो 254 ग्राम गांजा जब्त किया।पहली कार्रवाई ङ्क ग्राम डीम तिराहा में की गई। मुखबिर सूचना पर घेराबंदी कर आरोपी रामप्रताप सिंह गोंड उम्र 44 वर्ष, निवासी उमरिया (पढ़ान टोला), थाना मझौली को गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से 5 किलो 35 ग्राम गांजा, कीमत लगभग 55 हजार रुपये बरामद हुआ। पूंछताछ में आरोपी ने गांजा रामजान पटेल निवासी आखेटपुर, थाना ब्यौहारी, जिला शहडोल से खरीदकर बेचना बताया। दूसरी कार्रवाई ङ्क सूचना पर रामजान पटेल उम्र 48 वर्ष, निवासी आखेटपुर, थाना ब्यौहारी, जिला शहडोल को मोटरसाइकिल क्रमांक एमपी 18 एमजे 2095 सहित गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से 6 किलो 219 ग्राम गांजा, कीमत लगभग 66 हजार रुपये एवं घटना में प्रयुक्त बाइक, कीमत लगभग 40 हजार रुपये जब्त की गई।

पूंछताछ में आरोपी ने गांजा *तेजभान शुक्ला निवासी टेवगांव, थाना ब्यौहारी, जिला शहडोल* से खरीदकर सीधी जिले में सप्लाई करना स्वीकार किया। दोनों आरोपियों के विरुद्ध धारा 8/20(बी) एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के मेमोरेंडम के आधार पर गांजा तस्करी के नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। जांच में खुलासा हुआ कि गिरफ्तार आरोपी रामजान पटेल के विरुद्ध पूर्व से भी एनडीपीएस एक्ट के दो आपराधिक प्रकरण थाना जैतपुर, जिला शहडोल में दर्ज हैं। कुल जब्ती 11.254 किलो गांजा और मोटरसाइकिल, कुल कीमत लगभग 1.61 लाख शामिल है।

बाल श्रम से संबंधित प्रकरणों का गंभीरता से परीक्षण करें : बैनल

कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठक आयोजित

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 2 जुलाई। कलेक्टर गौरव बैनल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में बाल संरक्षण, बाल श्रम उन्मूलन, बाल विवाह रोकथाम तथा प्रभावित बच्चों के पुनर्वास एवं शिक्षा से संबंधित विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक में कलेक्टर ने निर्देशित किया कि बाल कल्याण समिति के माध्यम से प्राप्त होने वाले सभी प्रकरणों का संबंधित विभाग पूरी संवेदनशीलता एवं गंभीरता के साथ निराकरण करें। उन्होंने कहा कि

प्रभावित बच्चों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ते हुए उनकी शिक्षा, सुरक्षा एवं पुनर्वास पर विशेष ध्यान दिया जाए।

कलेक्टर ने श्रम विभाग को निर्देशित करते हुए कहा कि बाल श्रम से संबंधित प्रकरणों का गंभीरता से परीक्षण किया जाए तथा बाल श्रमिकों का नियोजन कराने वालों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराकर दण्डात्मक कार्रवाई करें। जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि बाल श्रम से मुक्त कराए गए बच्चों को पुन: श्रम में न लगाया जाए तथा उनके अभिभावकों से संपर्क कर बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित किया जाए। साथ ही बाल विवाह के प्रकरणो से संबंधित बच्चों का शत-प्रतिशत स्कूल मे नामांकन सुनिश्चित कराने के लिए डीईओ एवं डीपीसी को निर्देशित किया। बैठक के दौरान महिला एवं बाल विकास अधिकारी द्वारा समितियों के माध्यम से संचालित गतिविधियों एवं कार्यों की जानकारी विस्तारपूर्वक प्रस्तुत की गई। बैठक में डीपीओ जितेन्द्र गुप्ता, सीएमएचओ डॉ. पुष्पराज सिंह, डीईओ कविता त्रिपाठी, डीपीसी आरएल शुक्ला, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष डॉ. आरडी पाण्डेय, विजय लक्ष्मी शुक्ला, बाल संरक्षण अधिकारी नीरज शर्मा, वैभव सहित विभिन्न समितियों के सदस्य मौजूद रहे।

सिंगरौली में रैम्प कार्यशाला का प्रथम दिवस संपन्न

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 2 जुलाी, भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (स्स्स्ध्र) तथा विश्व बैंक समर्थित क्रस्न्क्क्योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड (स्न्क्कह्र) द्वारा होटल सत्य इंटरनेशनल, बैढ़न, सिंगरौली में आयोजित दो दिवसीय कंपोजिट कार्यशाला के प्रथम दिवस का सफल आयोजन किया गया।

कार्यशाला का उद्देश्य जिले के उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों एवं इच्छुक युवाओं को विभिन्न शासकीय योजनाओं, वित्तीय सहायता एवं उद्यम स्थापना से संबंधित प्रक्रियाओं की जानकारी प्रदान करना रहा। मुख्य अतिथि राम निवास शाह, विधायक सिंगरौली ने अपने संबोधन में कहा कि भारत सरकार द्वारा उद्योग एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि उद्यम स्थापित करने से न केवल व्यक्ति की आय में वृद्धि होती है, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित होते हैं। उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि वे फूड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में उद्यम स्थापित कर अपनी आय को बढ़ाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह भी छोटे-छोटे उद्यम स्थापित कर रहे हैं, जिन्हें विभिन्न शासकीय योजनाओं से जुड़कर आगे बढ़ने की आवश्यकता है।

नाम सुधार सूचना

मै महेन्द्र सिंह गौतम पिता श्री राजभान सिंह गौतम निवासी हाउस नं.40 कंदेहली ग्राम बन्दरहा, बिहटा जिला सतना म.प्र. का होकर बहलफ सूचित कर रहा हूं कि मेरा ड्राईविंग लाइसेंस बना हुआ है जिसका नं.MP19R-2021-0177925 है जिसमें मेरा नाम महेन्द्र कुमार सिंह (Mahendra Kumar Singh) दर्ज हो गया है जो कि गलत है जबकि सही नाम महेन्द्र सिंह गौतम (Mahendra Singh Gautam) है जो मेरे आधार कार्ड में दर्ज है अत: मेरे ड्राईविंग लाइसेंस में दर्ज नाम महेन्द्र कुमार सिंह (Mahendra Kumar Singh) के स्थान पर सही नाम महेन्द्र सिंह गौतम (Mahendra Singh Gautam) दर्ज किया जाए जो सत्य एवं सही है.

नाम सुधार सूचना

मैं आसिफ शमशेर खान/पिता शमशेर खान निवासी ग्राम करौंदी खुर्द पोस्ट बिटमा तहसील बिरसिंहपुर, करौंदी कला, बिटमा, सतना मध्य प्रदेश शपथ पूर्वक कथन करता हूं कि मेरे आधार कार्ड सहित समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम आसिफ शमशेर खान दर्ज हैं। जबकि मेरे पासपोर्ट में मेरा नाम मोहम्मद आसिफ खान लेख है। जो कि गलत है। मेरा शुद्ध और सही नाम आसिफ शमशेर खान है। अत: मेरा सही नाम आसिफ शमशेर खान/पिता शमशेर खान ही पढ़ा - लिखा व जाना जाए।

पेज एक का शेष

मंत्रिमंडल व संगठनात्मक विस्तार को लेकर चर्चा

सूत्र बता रहे हैं कि इस बैठक में किसी वरिष्ठ नेता को उपप्रधानमंत्री नियुक्त करने के राजनीतिक फायदों को लेकर भी चर्चा हुई है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से इस तरह की अटकलें लगाई जा रही है .बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या अमित शाह व राजनाथ सिंह में से किसी को उप प्रधानमंत्री की कुर्सी देकर सरकारी कार्यों को और सुव्यवस्थित करने का फैसला हो सकता है . इतना ही नहीं चर्चा है कि 2027 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात , पंजाब व हिमाचल समेत 7 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर यानी मिशन 2027 के लिए भी इस महामंथन में विस्तृत समीक्षा की गई है ताकि चुनावी राज्यों के राजनीतिक समीकरणों को साधने के लिए संगठन और सरकार में जिम्मेदारियों का आवंटन किया जा सके . सूत्र बता रहे हैं कि आगामी मंत्रिमंडल विस्तार में विपक्षी दलों से पाला बदलकर आए सांसदों को मंत्री पद का इनाम दिया जाए या संगठन के पुराने वफादारों को तरजीह दी जाए, इस पेंच को सुलझाने के लिए इस बैठक में एक विशेष सोशल-इंजीनियरिंग फॉर्मूला तैयार किया गया है .

नरोत्तम को चुनौती दे सकते हैं अनुज भारती

वहीं उनको कांग्रेस की ओर से पूर्व विधायक राजेन्द्र भारती के पुत्र अनुज भारती चुनौती दे सकते हैं. उपचुनाव में इन दोनों ही दलों के बीच मुख्य मुकाबला होने की संभावना है. हांलाकि नाम अंतिम रूप से तय करने से पहले दोनों ही बड़े दलों के बीच रायशुमारी से लेकर पैनल तैयार करना और फिर उस पर स्वीकृति की मुहर लगाने की औपचारिकता भी होगी. लेकिन ये सब रस्मी ही होने की संभावना है. दोनों ही दलों के उम्मीदवार लगभग तय है.

क्यों है दोनों नेताओं की दावेदारी मजबूत: डॉ. नरोत्तम मिश्रा भाजपा के बेहद कद्दावर नेता माने जाते हैं, उनकी गिनती भाजपा के प्रदेश के अग्रिम पंक्ति के नेताओं में होती है. वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले वे प्रदेश के गृह मंत्री रह चुके हैं. लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में उन्हें कांग्रेस के राजेन्द्र भारती से नजदीकी मुकाबले में 7742 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था. उनकी उम्मीदवारी को अभी दतिया से चुनौती देने के लिए भाजपा में कोई और कद्दावर नेता नहीं है, जो कांग्रेस को सीधी चुनौती दे सके, ऐसे में उनको ही टिकट मिलने की संभावना है. वैसे भी वे क्षेत्र में लगातार सक्रिय बने हुए हैं. इधर कांग्रेस की ओर से पिछले चुनाव में चुनौती देने वाले राजेन्द्र भारती की विधानसभा सदस्यता शून्य घोषित हो गई है, जिस कारण उपचुनाव हो रहे हैं. राजेन्द्र भारती को बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में 3 वर्ष की सजा सुनाई गई है. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के तहत यदि किसी विधायक, सांसद को दो वर्ष या उससे अधिक की सजा मिलती है, तो उनकी सदस्यता खत्म हो जाती है, वहीं वे 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य भी घोषित हो जाते हैं. भारती फिलहाल अगले 9 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. अभी तक कोर्ट से उन्हें कोई स्टे नहीं मिला है. ऐसे में राजेन्द्र भारती इस उपचुनाव में उम्मीदवार नहीं बन सकेंगे. लिहाजा अब कांग्रेस उनके पुत्र अनुज भारती पर दांव लगा सकती है. कांगेस के रणनीतिकारों का मानना है कि अनुज भारती ही भाजपा उम्मीदवार को चुनौती दे सकते हैं. उनका ये भी मानना है कि क्षेत्र में राजेन्द्र भारती की जिस तरह से सदस्यता निरस्त की गई, उससे क्षेत्र में उनके प्रति सहानुभूति है. इसी सहानुभूति को वोट में तब्दील करने के लिए पिता के बजाय पुत्र पर दांव लगाने की रणनीति तैयार की जा रही है.

दिलचस्प होगा उपचुनाव: भाजपा संगठन और डॉ. नरोत्तम मिश्रा की ताकत एक प्लस एक बराबर 11 की ताकत बनाते हैं. लिहाजा ये चुनाव बेहद दिलचस्प होने की संभावना है. ये उपचुनाव भाजपा और डॉ. मिश्रा दोनों के लिए ही प्रतिष्ठा का सबब बन गया है. भाजपा हर हाल में इस सीट पर वापस कब्जा करना चाहेगी. इधर कांग्रेस इस सीट को बरकरार रखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी. सहानुभति की लहर पर सवाल कांग्रेस उपचुनाव में भाजपा को नजदीकी चुनौती पेश कर सकती है. पिछला चुनाव परिणाम भी बेहद नजदीकी रहा था, ये उपचुनाव भी नजदीकी रह सकता है.

चुनाव आचार संहिता लागू: उपचुनाव के लिए कार्यक्रम घोषित होते ही दतिया जिले में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है. 6 जुलाई को अधिसूचना जारी होते ही नामांकन भरने का सिलसिला शुरू हो जाएगा.

हत्या का आरोपी उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार

सीधी 2 जुलाई, जमोड़ी पुलिस की प्रभावी कार्रवाई में हत्या के आरोपी को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर वारदात में प्रयुक्त कांसे का लोटा बरामद किया गया। पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती कमला जोशी एवं उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय अमन मिश्रा के मार्गदर्शन तथा थाना प्रभारी जमोड़ी उनि दिव्य प्रकाश त्रिपाठी के नेतृत्व में जमोड़ी पुलिस ने हत्या के मामले में फरार आरोपी को उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। पुलिस के अनुसार दिनांक 23 जून 2026 की रात्रि लगभग 11-15 बजे ग्राम डड़हवा में मामूली कहासुनी एवं गाली-गलौज के बाद आरोपी रुद्र लाल उर्फ सोनू कोल उम्र 26 वर्ष ने बंश राखन कोल उम्र 32 वर्ष के सिर पर कांसे (फूल) के लोटे से प्रहार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल को तत्काल जिला चिकित्सालय सीधी ले जाया गया, जहां से गंभीर स्थिति को देखते हुए एसजीएमएच रीवा रेफर किया गया। अस्पताली सूचना पर थाना जमोड़ी में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। घायल की गंभीर स्थिति को देखते हुए प्रकरण में हत्या के प्रयास की धारा जोड़ी गई। उपचार के दौरान 01 जुलाई 2026 को घायल की मृत्यु हो जाने पर प्रकरण में धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता का इजाफा किया गया। घटना के बाद फरार आरोपी की लगातार तलाश की जा रही थी। तकनीकी साक्ष्यों एवं मुखबिर सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने आरोपी को सोनभद्र ,उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया। पूंछताछ के दौरान आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त कांसे का लोटा बरामद कर विधिवत जब्त किया गया। आरोपी को न्यायालय में पेश कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की गई। अपराध में धारा 296(बी), 115(2), 351(3), 109(1) एवं 103(1) बीएनएस के अंतर्गत विवेचना जारी है। आरोपी की गिरफ्तारी में पुलिस टीम में शामिल उनि दिव्य प्रकाश त्रिपाठी, एएसआई आरडी साकेत, प्रआर गुरु प्रसन्न, राम खेलावन, आरक्षक केपी सिंह, आजाद की सराहनीय भूमिका रही।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-सिंगरौली (म.प्र.)

क्रमांक/मु.चि.अ./2026/4452 सिंगरौली, दिनांक-25/06/26

निविदा सूचना

ऑनलाईन माध्यम से पूर्व प्रकाशित निम्नानुसार निविदा की सूचना सर्व साधारण एवं इच्छुक निविदाकारों के लिए प्रकाशित की जाती है।

क्र.	जेम बिड नम्बर	कार्य का नाम	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि
1	GEM/2026/B/7703174	Fabricated Special Purpose Vehicle on Truck/Van	09-07-2026
2	GEM/2026/B/7703127	boq	10-07-2026

निविदा GeM Portal पर ऑनलाईन आमंत्रित की गई है। इच्छुक एवं पात्र निविदाकार निर्धारित अवधि में ऑनलाईन निविदा प्रस्तुत कर सकते है। विस्तृत जानकारी GeM Portal पर उपलब्ध है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला-सिंगरौली (म.प्र.)

कार्यालय नगर पालिक निगम रीवा (म.प्र.)

क्र.मांक. 1879/SFH / न.पा.नि./2026-27 रीवा, दिनांक 02/07/2016

सार्वजनिक उद्घोषणा

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिक निगम रीवा द्वारा "स्ट्रीट फूड हब" के निर्माण के लिए भूमि आवंटन के संबंध में आवेदन दिया गया है माननीय न्यायालय कलेक्टर महोदय जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 0015 / अ - 20 (3) / 2026-27 एवं अनुविभागीय अधिकारी महोदय हुजूर जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 0011/ अ-20(3)/2026-27, के अंतर्गत ग्राम रीवा की आराजी क्रमांक 403 रकवा 19.5860 हे. के अंश रकवा 1451.50 वर्गमीटर भूमि नगर पालिक निगम रीवा के नाम आवंटन के संबंध में प्रकरण विचाराधीन है ।

इस संबंध में तहसीलदार हुजूर नगर ने बताया है कि उक्त भूमि के आवंटन में यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 14.07.2026 तक हुजूर नगर न्यायालय रीवा के समक्ष में अपनी लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है । नियत तिथि तक आपत्तियाँ प्राप्त न होने पर इन भूमि के आवंटन सम्बंधी कार्यवाही की जावेगी ।

उपायुक्त
नगर पालिक निगम
रीवा (म. प्र.)

कार्यालय नगर परिषद् सिरमौर जिला - रीवा म.प्र. (म.प्र.)

cmosirmour@mpurban.gov.in

क्रमांक/1122/e-tendering/NP/2026 सिरमौर दिनांक- 30-06-2026

ई- निविदा सूचना - प्रथम आमंत्रण

एतद द्वारा समस्त पंजीकृत फर्म / अधिकृत विक्रेताओं को सूचित किया जाता है कि कार्यालय नगर परिषद सिरमौर जिला रीवा म.प्र. में वित्त वर्ष 2026-27 हेतु निम्नानुसार कॉलम में वर्णित कार्य किया जाना है . जिस हेतु केंद्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों / आपूर्ति कर्ताओं से ऑनलाइन निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं । निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाइट https://mptenders.gov.in/ पर देखा जा सकता है।

क्र.	टेण्डर क्र. जारी दिनांक	आपूर्ति मद का विवरण	अनुमानित लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं EMD	निविदा की अंतिम तिथि
1	2026_UAD _518531_1	Work For The feeder 8 No. LT Pole sifting work RANI TALAB sirmour and Feeder Id 707886 As per Nagar Parishad Sirmour	98802.00	1. 1000/- 2. 2000/-	16-07-2026

नोट:- निविदा से सम्बंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाइन https://mptenders.gov.in/ की वेबसाइट पर ही किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जावेगा.

श्री संदीप सिंह ,अध्यक्ष **सुश्री नेहा शर्मा,मुख्य नगर पालिका अधिकारी**
नगर परिषद् सिरमौर, जिला - रीवा म.प्र.

रजिस्टर्ड नोटिस ए0डी0 15 दिवस

क्रमाक Q / 26 दिनांक 02/07/2026

प्रति,

श्री करन यादव पिता श्री राजा भइया यादव उम्र 32 वर्ष निवासी वार्ड नं. 04 पुरानी लंका के पीछे लोधन टिकुरा चित्रकूट तह0 मझगवां जिला सतना म0प्र0

महानुभाव,

जो कि मेरे पक्षकार श्री प्रेमप्रकाश द्विवेदी पिता शालिगराम द्विवेदी उम्र 49 वर्ष, महेन्द्र त्रिपाठी पिता स्व0 श्री सरयू प्रसाद त्रिपाठी उम्र 55 वर्ष दोनो निवासी कामता चित्रकूट तह0 मझगवां जिला सतना म0प्र0 के निर्देशानुसार व अधिकृत होकर तथा उनके मौखिक एवं दस्तावेजी साक्षों के अवगत होकर मुझे अधिकृत किया है कि मैं आपको कानूनी नोटिस देकर सूचित करू जो नोटिस के आधार निम्नवत् है :-

1- यह कि मेरे पक्षकार द्वारा आ0नं0क्र 45/1/23/1 रकवा 1.0690हे0 का भाग 442/1069 का अंश रकवा 0.2090हे0 स्थित मौजा रजौला प0ह0नं0- 33 कामता तह0 मझगवां जिला सतना म0प्र0 का सौदा 21,46,000/-रू0 आप और मेरे पक्षकार के मध्य तय हुआ था आप नोटिसगृहिता द्वारा अनुबंध पत्र दिनांक 07/07/25 को उपपंजीयक कार्यालय सतना के समक्ष लिखाते हुये निष्पादित व पंजीकृत कराया गया है उक्त अनुबंध के अनुसार विक्रय पत्र पंजीयन की अवधि एक वर्ष दिनांक 07/07/26 लेख कराया था.

2 - यह कि आप नोटिसगृहिता उक्त भूमि के विक्रय सौदा व अनुबंध के समय बतौर बयाना 3,00,000/- रू0 एडवांस के तौर पर चेक व नगद के रूप में प्राप्त किया था और शेष रकम विक्रय पत्र निष्पादन के समय देने की बात हुयी थी मेरे पक्षकारगण द्वारा अनुबंध पत्र दिनांक 07/07/25 के निष्पादन के बाद कई बार मौखिक रूप से आप नोटिसगृहिता से कहा गया कि अनुबंधित भूमि का विक्रयपत्र हमारे नाम कर रजिस्ट्री ऑफिस सतना में चलकर विक्रय पत्र का निष्पादन करा दें और शेष राशि हमसे प्राप्त कर लें लेकिन आप नोटिसगृहिता द्वारा यह कहते हुये कि अभी समय अवधि बाकी है आप लोग चिंता ना करे लेकिन आप नोटिसगृहिता द्वारा आज दिनांक तक विक्रय पत्र का निष्पादन नही कराया गया और ना ही अनुबंधित आराजी का आज दिनांक तक सीमांकन आदि नही कराया गया और ना ही उक्त बात मेरे पक्षकारगण को सूचना दी गयी जिससे ऐसी प्रतित होता है कि आप नोटिसगृहिता द्वारा उक्त अनुबंधित आराजी का पंजीयन कराने में इच्छुक नही है।

अत: आप नोटिस गृहिता को सूचित किया जाता है कि अनुबंध पत्र दिनांक 07/07/25 की समयावधि में दिनांक 07/07/26 तक मेरे पक्षकारगण से सौदा / प्रतिफल की शेष राशि प्राप्त कर विक्रयपत्र का निष्पादन समक्ष उपपंजीयक सतना म0प्र0 में करा दे अन्यथा बाद गुजरने अवधि आप नोटिसगृहिता के विरूद्ध सक्षम कार्यवाही करेगा जिसका समस्त जिम्मेदारी आप नोटिसगृहिता की होगी।

स्थान-चित्रकूट
दिनांक 02/07/2026

भवदीय
लवकुश मिश्रा एडवोकेट
सिविल न्यायालय चित्रकूट
जिला,सतना म0प्र0